न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा./2017/4383 विरूद्ध आदेश दिनांक 15.09.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक अपील 234ए/2016-17.

---

1. दिनेश सिंह आ0 प्रेमसिंह
2. श्रीमती मंजाबाई पत्नि स्व0 निर्भय सिंह

समस्त निवासीगण- डोलरिया तहसील डोलरिया

जिला होशंगाबाद, म.प्र. ....आवेदकगण

विरूद्ध

राजेन्द्र सिंह आ0 श्री प्रेम सिंह

निवासी डोलरिया, तहसील डोलरिया

जिला होशंगाबाद, म.प्र. ....अनावेदक

श्री रत्नेश दुबे, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/7/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 15.09.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक क्रमांक 1 एवं अनावेदक के पिता प्रेम सिंह द्वारा ग्राम सुपरली स्थित भूमि खसरा नं. 217/1 रकबा 0.809 एवं ग्राम डोलरिया स्थित भूमि खसरा नम्बर 604 रकबा 0.636 एवं 656/1 रकबा 1.619 हैक्टेयर का आपसी

बंटवारा हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार डोलरिया के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 62/अ-27/2012-13 दर्ज कर दिनांक 27.07.2013 को बंटवारा आदेश पारित किया गया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 06.01.2017 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितींय अपील आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई। आयुक्त द्वारा दिनांक 15.09.2017 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) उभय पक्ष के पूर्वज मृतक प्रेम सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी भूमि का मौखिक बंटवारा किया गया था, जिसके अनुसार खसरा नम्बर 654/1 रकबा 1.619 हैक्टेयर स्थित ग्राम डोलरिया को अपने पुत्र आवेदन क्रमांक 1 दिनेश के नाम एवं खसरा नम्बर 604 रकबा 0.636 तथा खसरा नम्बर 217/1 रकबा 0.809 हैक्टेयर स्थित ग्राम सुपरली रकबा 1.445 हैक्टेयर को आवेदक क्रमांक 2 के पति निर्भय सिंह के नाम पर पूर्व में हुए बंटवारे के अनुसार नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। तहसीलदार द्वारा विधिवत कार्यवाही कर दिनांक 27.07.2013 को विधिवत आदेश पारित किया गया है। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रत्यावर्तन श्रेणी का आदेश पारित किया गया है, जबकि संहिता की धारा 49 में दिनांक 31.12.2011 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण में अंतिम आदेश पारित करना चाहिए था।

(2) अनुविभागीय अधिकारी को वसीयतनामा दिनांक 15.07.2009 को विधिवत रूप से निराकरण करना चाहिए था, तत्पश्चात् अंतिम आदेश पारित करना चाहिए था, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया है।

(3) प्रश्नाधीन संपत्ति के एकमात्र भूमिस्वामी उभय पक्ष के पूर्वज स्व0 प्रेम सिंह था और हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत उन्हें प्रश्नाधीन भूमि का विभाजन करने का पूर्ण अधिकार था, जिस पर कोई विचार नहीं कर त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकालने में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा अवैधानिकता की गई है।

(4) अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि अधिनियम की धारा 178(क) के तहत मूल भूमिस्वामी को अपने स्वामित्व की भूमि का बंटवारा करने का पूर्ण अधिकार है।

(5) अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा विधि विपरीत त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकाले गये हैं, क्योंकि यदि प्रकरण लंबित रहने के दौरान कोई वसीयतनामा प्रस्तुत हुआ है तो उस वसीयतनामे के आधार पर स्वयं उसी न्यायालय को जिसके समक्ष कार्यवाही लंबित थी, अंतिम रूप से वसीयत के आधारपर प्रकरण का निराकरण करना था। इस प्रकार निराकरण करना था। ऐसा न करते हुए जो आदेश पारित किया गया, वह निरस्त किये जाने योग्य है।

(6) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने योग्य है, क्योंकि अनावेदक तहसीलदार के समक्ष लंबित कार्यवाही में पक्षकार नहीं था। इसलिए उसे अपील प्रस्तुत करने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनुमति प्राप्त करना था और अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत करना था, जो तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त करना था जो उनके द्वारा नही की गई। इसलिए भी अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(7) अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के द्वारा दिया गया निष्कर्ष विधि विपरीत है, क्योंकि प्रेमसिंह के द्वारा अपने जीवनकाल में इस पुनरीक्षण याचिका से संबंधित भूमि का बंटवारा कर दिया है, इसलिए भी दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जो वसीयतनामा पेश किया गया है, जिसका साक्ष्य से ही निराकरण संभव है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण को स्वतंत्र नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया गया है, किन्तु आवेदकगण द्वारा उसका पालन नहीं कर निगरानी प्रस्तुत की गई है, जबकि वास्तव में आवेदकगण को अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से कोई क्षति नहीं हुई है । अतः निगरानी आधारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी आधार लिया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि खानदानी है, जिसका आज तक कोई बटवारा नहीं हुआ है और अनावेदक का प्रश्नाधीन भूमि में स्वत्वहित व अधिकार निहित है किन्तु तहसील न्यायालय में उसे जानबूझकर पक्षकार

नहीं बनाया गया है और न ही सुनवाई का कोई अवसर दिया गया है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में कोई भूल नहीं की गई है । यह आधार भी लिया गया है कि प्रेमसिंह द्वारा अपने साक्ष्य में अनावेदक को ग्राम डोलरिया स्थित खसरा नम्बर 619/2 एवं 610/3 देने का कथन किया है, जबकि वास्तव में उक्त भूमि उसकी मां को, मायके से प्राप्त हुई है, जिसका संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत विधिवत बटवारा होने पर उक्त भूमि अनावेदक को हिस्से में प्राप्त हुई है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अनावेदक द्वारा यह आधार भी लिया गया है कि अनावेदक को अपनी मां से प्राप्त भूमि पर आवेदकगण का अधिपत्य था, जिसके सम्बन्ध में अनावेदक द्वारा व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया । उक्त व्यवहार वाद में आवेदकगण ने उपरोक्त भूमि अनावेदक की मां से प्राप्त होना मानते हुए समझौता किया, जिसके आधार पर व्यवहार न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 24अ/15 में दिनांक 8-5-2015 को समझौता आदेश पारित किया गया है । अतः स्पष्ट है कि प्रेमसिंह द्वारा अनावेदक को खानदानी भूमि में से उसका हिस्सा प्रदान नहीं किया गया है । प्रेमसिंह द्वारा आवेदकगण के बहकावे में आने बावत् शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है । यह आधार भी लिया गया है कि प्रेमसिंह द्वारा दिनांक 15-7-2009 को जब वसीयतनामा निष्पादित किया था, तब निम्न न्यायालय के समक्ष्ज्ञ अपने जीवनकाल में उक्त भूमि का बटवारा करने का प्रश्नही उत्पन्न नहीं होता है । यदि वसीयतनामा सही माना जाये तो तहसील न्यायालय का आदेश स्वतः निरस्त हो जाता है और यदि तहसील न्यायालय का आदेश सही माना जाये तो वसीयतनामा फर्जी है । इस तरह वसीयतनामा संग्धि होने के कारण, उसके आधार पर आवेदकगण को कोई अनुतोष प्राप्त नहीं हो सकता है । उपरोक्त स्थिति पर विचार कर अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किये गये हैं, जो हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं । यह आधार भी लिया गया है कि आवेदकगण के पिता प्रेमसिंह की इच्छा अनावेदक को भी उसका हिस्सा देने की थी, तब वह तहसील न्यायालय के आदेश को मान्य कर वसीयतनामा के बावत कथन करते हुए वर्ष 2009 के वसीयतनामा को छुपाकर रखने से वह संदेहास्पद हो जाता है। अतः अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में कोई भूल नहीं की है । अन्त में यह आधार लिया गया है कि कृषक के जीवनकाल में बटवारा कराने पर सभी वारिसान को सूचना दिया जाना आवश्यक है, परन्तु अनावेदक को कोई सूचना नहीं दी गई है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के समवर्ती निष्कर्ष होने से स्थिर रखने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अवलोकन से स्पष्ट है कि संहिता की धारा 178(A) में प्रश्नाधीन भूमि का बंटवारा करते समय सभी वारिसों को सुना जाना आवश्यक है, लेकिन इस प्रकरण में अनावेदक को कोई नोटिस नहीं दिया गया। प्रकरण में जहां एक ओर उभय पक्ष के पिता द्वारा संहिता की धारा 178(A) में बंटवारे की कार्यवाही कराई गई, वहीं उन्होंने रजिस्टर्ड वसीयत भी की। रजिस्टर्ड वसीयत को देखते हुए संहिता की धारा 178(A) की कार्यवाही संदिग्ध हो जाती है। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर बंटवारा आदेश पारितकरने से पूर्व प्रश्नाधीन भूमि के समस्त हितबद्ध पक्षकरों को पक्षकार न बनाया जाकर सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, जिससे संहिता की धारा 178 के तहत किया गया प्रश्नाधीन भूमि का बंटवारा आदेश दिनांक 27.07.2013 दूषित हो जाता है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने विधिसंगत आदेश पारित कर निरस्त किया है एवं अपर आयुक्त ने उक्त आदेश को स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की है। अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.09.2017 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर